Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language, **Online ISSN 2348-3083, SJIF 2016 = 4.44, www.srjis.com**
UGC Approved Sr. No.48612, AUG-SEPT 2017, VOL- 4/23

भारत में स्वयं सहायता समूह — एक अध्ययन

डॉ कृष्णा शुक्ला
असिसटेंट प्रोफेसर पीजीडीएवी कॉलेज (सांध्य) दिल्ली यूनिवर्सिटी

Abstract

स्वयं सहायता समूह समाज के कमजोर सामाजिक एवं आर्थिक स्तर वाले नागरिकों का एक अनौपचारिक संगठन होता है जो अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए साथ आते हैं। सामान्यत: इस प्रकार के समूह, सदस्यों की आपसी सहमति से स्वयं संचालित होते हैं। पिछले पाँच — छह दशकों में इस प्रकार के स्वयं सहायता समूहों को एक नई पहचान मिली है। इस प्रकार के स्वयं सहायता समूह में उस समाज के लोग अपनी इच्छा से शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार के समूह में सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या १०—२० में होनी चाहिए। इससे बडी संख्या के समूह भी हो सकते हैं।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

पृष्ठिभूमि—

भारत में सर्वप्रथम स्वयं नियोजित महिला संगठन ;ैम्ॅद्धकी स्थापना १९७२ में होना पाया जाता है। उससे भी पहले इस दिशा में छोटे—मोटे प्रयास हुये हैं। १९५४ में अहमदाबाद में कपडा उद्योग के अंतर्गत कपडा मजदूर संगठन ; ज्मगजपसम स्ंइवनत ेवबपंजपवद दृ ज्स्।द्ध का गठन हुआ। इस कपडा उद्योग के संगठन ने अपने सदस्यों के परिवारों के लिए एक महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की। इस प्रकार के समूहों को बनाने का उददेश्य संगठन के परिवारों की महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढाई जैसी विधाओं में प्रशिक्षित करना था जिससे वो मिल में काम करने वाले मजदूरों के परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बन सकें।

इसी प्रकार के छोटे—मोटे स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न भागों में पिछले ६—७ दशकों में विकसित हुए तथा इनका भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही संज्ञान लिया गया । इनकी सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर इनके उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के सरकार के प्रयास भी प्रारंभ हुए।

१९९२ में नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह बैंक सम्पर्क प्रकल्प ;ैभ्ळ ठंदा स्पदांहम च्तवरमबजद्ध प्रारंभ किया जो आज विश्व के अंदर विशालत्म सूक्ष्म वित्तीय प्रकल्प के नाते विख्यात हैं। १९९३ में नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों के लिए बैंकों में बचत खाते खोलने की व्यवस्था प्रारंभ की। यह योजना स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। १९९९ में भारत सरकार ने ष्स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाष प्रारंभ की जिसका उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार में लगे हुये कामगारों को प्रोत्साहित करना और उनकी कार्यकुशलता को यथोचित रूप से उन्नत करना था। धीरे —धीरे यह योजना २०११ में नेशनल रूरल लाइवली हुड मिशन ;छत्स्डद्ध के रूप में विकसित हुई । इस छोटी सी पृष्ठिभूमि से ही इस बात का परिचय मिलता है कि स्वयं सहायता समूहों के विकास को सामाजिक विकास के क्षेत्र में और विशेष रूप से वित्तीय समावेशन की

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

पृष्ठिभूमि में नई पहचान मिली। इसी कारण भारत सरकार ने भी स्वयं सहायता समूहों को विकसित व उन्नत करने के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ किया।

स्वयं सहायता समूहों की विकास पद्धति—

स्वयं सहायता समूहों के बनने व विकास की सामान्य प्रक्रिया निम्नलिखित होती है—

१. कुछ व्यक्तियों द्वारा उस स्थान पर इस दिशा में पहल करना।
२. आर्थिक उन्नति और सुरक्षा तथा सामूहिक विकास के लिए आसपास के लोगों को प्रेरित करना।
३. एक प्रारंभिक छोटे समूह का निर्माण।
४. समूहों के द्वारा अपने संसाधनों से कुछ वित्तीय सहायता जुटाना।
५. आर्थिक उन्नति के लिए सभी लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण।
६. उनके उत्पादों को अच्छी कीमत पर विक्रय की व्यवस्था।

इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह को अपने उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिए काफी संघर्ष करना पडता है। इस आवश्यकता को समझते हुए विभिन्न प्रकार की सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की आवश्यकता होती है जो निम्न प्रकार की हो सकती है—

१. सरकारी संस्थायें
२. गैर सरकारी संस्थायें
३. राजकीय एवं वाणिज्यिक बैंक
४. सूक्ष्म वित्तीय संस्थायें
५. स्वयं सहायता समूह संघ (फेडरेशन)
६. स्वयं सहायता समूहों के विकसित नेतृत्व एवं उद्यमी।

स्वयं सहायता समूहों के कार्य—

१. समाज के पिछडे हुए एवं गरीब तबके की रोजगार बढाने एवं विभिन्न क्षेत्रों में अर्थोपार्जन करने की क्षमता एवं योग्यता को बढाना।
२. समूहों के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं क्रिया कलापों में आवश्यक सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।
३. विभिन्न विवादों का सामूहिक नेतृत्व व परस्पर संवाद द्वारा सहमति से निपटारा।
४. संपार्श्विक (कोलेटरल) ब्याजमुक्त ऋण, समूह के सदस्यों को उपलब्ध करवाना।
५. इस प्रकार के समूह एक प्रकार के सामूहिक गारंटी व्यवस्था का भी काम करते हैं। विशेष रूप से सामूहिक लेनदेन तथा विक्रय की व्यवस्था की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले गरीब एवं कामगार समूह अपनी छोटी—छोटी बचत को बैंक के बचत खाते में रखकर बहुत कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जिससे वे अपने छोटे से उद्योग को पनपा सकें।
६. इस प्रकार स्वयं सहायता समूह व्यवस्था, देश के आर्थिक विकास में पिछडे एवं गरीब तबके के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सूक्ष्म —वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराने का एक प्रभावी साधन बन गया है।

स्वयं सहायता समूहों की मुख्य कठिनाईयों—

भारत के आर्थिक एवं समग्र विकास में स्वयं सहायता समूहों का उद्‌भव एवं विकास होने का प्रमुख कारण भारत की एक बडी आबादी का गरीबी की रेखा के नीचे एवं सामाजिक दृष्टि से पिछडा होना है। इस बहुत बडे तबके में निरक्षरता, वाणिज्यिक योजनाओं की जानकारी का अभाव तथा अपने विकास में सहायक विभिन्न योजनाओं एवं निकायों की जानकारी का अभाव भी पाया जाता है। इसी पृष्ठिभूमि में सन् २००६ — २००७ में भारत सरकार के द्वारा डॉ. सी. रंगराजन

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति ने भी स्वयं सहायता समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित चार मुख्य कारण बताये थे।

१. किसी भी प्रकार के संपाश्र्विक सिक्योरिटी प्रदान करने में अक्षमता।

२. किसी भी प्रकार के ऋण का सदुपयोग करने की अक्षमता / अकुशलता।

३. ऋण प्रदायी संस्थाओं तक पहुँच एवं जानकारी का अभाव ।

४. कमजोर सामाजिक व्यवस्था तंत्र

इस प्रकार स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकता एवं उसके अंतर्गत आने वाले आर्थिक सामाजिक समूहों की अक्षमताओं एवं कमियों का योग्य अध्ययन जो सी. रंगराजन कमेटी के द्वारा, उनके विकास के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

स्वयं सहायता समूहों की अन्य समस्याएँ—

१. स्वयं सहायता समूहों का प्रमुख लक्षित वर्ग महिलाएँ होती हैं। अधिकांश महिलाएँ अपने पारम्परिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि को छोडकर इस दिशा में आगे कदम बढाने में कठिनाई महसूस करती हैं।

२. स्वयं सहायता समूह के विचार एवं उपयोगिता को गरीबों तक पहुंचाना एक समस्या है। यह अशिक्षा एवं इस विषय की तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण है।

३. इस प्रकार के समूहों की उन्नति एवं विकास के लिए बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी एवं उपलब्धता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

स्वयं सहायता समूह के लाभ—

स्वयं सहायता समूह गरीब, अशिक्षित एवं पिछडे हुए समाज के लिए एक वरदान साबित हुये हैं इस सामाजिक आंदोलन के निम्नलिखित लाभ देखे जा सकते हैं—

१. समाज सुधार — स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के सतत् सम्पर्क के कारण से स्त्री शिक्षा, दहेज प्रथा, शराब की समस्या, खुले में शौच जाना, बच्चे के जन्म में अंतर एवं लिंग भेदभाव व बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में मदद मिलती हैं।

२. समाज के पिछडे एवं गरीब तबके को अपने विकास के लिए आवाज उठाने का मौका मिलता है।

३. महिला सशक्तिकरण को बढावा मिलता है। इससे महिलाओं की सामाजिक सहभागिता और विभिन्न सरकारी गैर— सरकारी निकायों में प्रतिनिधित्व बढता है।

४. स्वयं सहायता समूहों के कारण बैंकों को समाज के गरीब एवं पिछडे हुये वर्गों को ऋण प्रदान करने में सुरक्षा का अनुभव होता है क्योंकि इन ग्रुप्स के कारण ऋणों के भुगतान को सुनिश्चित किया जा सकता है।

५. सफल एवं प्रभावी स्वयं सहायता समूह सरकारी और गैर—सरकारी निकायों की उपयोगिता एवं योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

६. स्वयं सहायता समूहों के कारण से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है और उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

७. स्वयं सहायता समूहों के कारण लक्षित व्यक्तियों एवं समूहों को अधिक जानकारी पूर्ण तरीके से दक्षतापूर्वक अपने कार्य को उन्नत करने एवं अपनी आजीविका को सम्मानपूर्वक अर्जित करने का अवसर मिलता है।

८. सफल एवं समर्थ स्वयं सहायता समूह समाज की कृषि पर निर्भरता को भी कम करते हैं।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

९. बैंकिंग साक्षरता— स्वयं सहायता समूहों के व्यवस्थित कार्य करने से एवं विभिन्न सरकारी, गैर—सरकारी संस्थाओं से व्यापक संबंध सम्पर्क होने के कारण इन समूहों के सदस्यों की बैंकों की कार्यप्रणाली एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी बढती है। इसके कारण संबंधित समाज के वर्ग बैंकिंग सुविधाओं का आवश्यक और उचित लाभ अपने और समाज के विकास के लिए उठा सकते हैं।

१०. जीवन के दृष्टिकोण में सुधार— स्वयं सहायता समूहों के लम्बे समय तक सफल एवं प्रभावी कार्य निष्पादन करते रहने के कारण सभी सदस्य अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्यप्रद भोजन, परिवार नियोजन, उत्तम मातृ शिशु स्वास्थ्य, स्वास्थ्यप्रद आवास आदि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

११. पिछडे एवं गरीब तबके को स्वयं सहायता समूह के सशक्त एवं सफल निष्पादन से अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है।

भारत में स्वयं सहायता समूहों के उदाहरण—

केरल में कुटुम्बश्री योजना—

इस योजना को १९८८ में केरल सरकार के द्वारा गरीबी के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था। यह वर्तमान में भारत वर्ष का सबसे बडा महिला सशक्तीकरण प्रकल्प है। इस प्रकल्प के अंतर्गत निम्नलिखित तीन आयामों पर काम होता है—

१. सूक्ष्म ऋण
२. उद्यमशीलता
३. सशक्तीकरण

इन तीनों प्रमुख आयामों को निम्नलिखित तीन स्तरों पर संचालित किया जाता है—

१. पास पडौस के समूह ";भ्क्द्ध
२. क्षेत्रीय विकास संस्था ;१५.२०"भ्ळैद्ध
३. कम्यूनिटी डवलपमेंट सोसायटी ;थ्मकमतंजपवद वf िसस हतवनचेद्ध

कुटुम्बश्री, केरल राज्य द्वारा संचालित एक सरकारी संस्था है जिसमें काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार से वेतन मिलता है और उपरोक्त तीनों आयामों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक बजट भी दिया जाता है। उपरोक्त तीनों स्तरों पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अवैतनिक स्वयं सेवकों का भी सक्रिय सहयोग रहता है।

महिला आर्थिक विकास महामंडल ;ड।टप्डद्ध

महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। इसके अत्यधिक विस्तार एवं प्रभावी कार्य के कारण इसकी बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि के कारण इसके द्वारा होने वाले वित्तीय लेनदेन में बहुत अधिक समस्याएँ आई जिसके कारण इसके सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसी व्यवसायिक तंत्र की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके कारण महिला आर्थिक विकास महामंडल के अंतर्गत ष्कम्यूनिटी मैनेजड रिसोर्स सेंटरष;ब्डत्ब्द्ध की स्थापना की गई है । यह संस्था इस महिला महामंडल के अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक एवं रोजगार संबंधी सेवाएँ एवं जानकारी प्रदान करता है। ब्डत्ब एक स्वयं संचालित (आत्मस्थायी) निकाय है जो आवश्यकता के अनुसार महिला आर्थिक विकास महामंडल के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को सभी प्रकार की जानकारी, सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

स्वयं सहायता समूहों की आगामी आवश्यकता एवं योजना—

स्वयं सहायता समूह भारत के आर्थिक विकास का एक उपयोगी एवं प्रभावी आंदोलन बन चुका है। इसको भविष्य में अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावीढंग से विकसित होने के लिए और अधिक स्पष्टता, सहायता, सरकारी तंत्र से सामंजस्य, विभिन्न सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना तथा समय—समय पर इन समूहों के लिए लागू की गई योजनाओं के निष्पादन एवं अपेक्षित लाभों की समीक्षा करना आवश्यक लगता है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख बिंदु इस दिशा में सहायक हो सकते हैं—

१. स्वयं सहायता समूह अभियान को सफल बनानें के लिए एवं उसकी वृद्वि एवं विकास के लिए सरकार को एक सतत् सहयोग का वातावरण बनाये रखना चाहिये।

२. देश के सुदूर ग्रामीण एवं पिछडे हुए क्षेत्र, जो विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाओं से वंचित हैं ऐसे क्षेत्रों में प्रचलित सरकारी संस्थाओं एवं सुविधाओं को पहुँचाने की आवश्यकता है।

३. इस प्रकार के अभावग्रस्त क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं की पहुँच एवं उनके प्रभावी निष्पादन के लिए सभी प्रकार की प्ज म्दंइसमक बवउउनदपबंजपवद और इन सुविधाओं की क्षमताओं का विकास इन क्षेत्रों मे किया जाना आवश्यक है।

४. स्वयं सहायता समूह आंदोलन का विकास शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर करने की आवश्यकता है क्योंकि पिछले कुछ दशकों में बहुत तेज गति से शहरीकरण हुआ है और उससे प्रभावित बडी मात्रा में जनसंख्या आर्थिक संकट का सामना कर रही है।

५. सरकारी संस्थाओं को गरीब एवं पिछडे हुए वर्गो को भावी जिम्मेदार ग्राहक एवं संभावित उपयोगी उद्यमी की दृष्टि से व्यवहार करना चाहिए।

६. प्रत्येक राज्य में स्वयं सहायता समूह के सही और सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिए किसी निश्चित संचालन एवं नियंत्रण व्यवस्था या निकाय की स्थापना करनी चाहिए। इस राज्यस्तरीय संचालन तंत्र का जिले एवं खण्ड स्तर तक नियंत्रण एवं निगरानी रहनी चाहिए। इस निगरानी तंत्र का उपयोग स्वयं सहायता समूहों के कार्य निष्पादन संबंधी गुणात्मक एवं मात्रात्मक जानकारी लगातार रहने से उनके विकास में सहायता मिलेगी।

७. सभी प्रकार के वाणिज्यिक बैंक एवं नाबार्ड को राज्य सरकार के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों की बढती हुई एवं बदलती हुई आवश्यकताओं की सतत् जानकारी उनको सफल बनाने के लिए नित्य नूतन प्रयोग और उनके विस्तार के लिए नये—नये वित्तीय उत्पादों का सृजन करते रहना चाहिए।

निष्कर्ष—

स्वयं सहायता समूह भारत के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम सिद्व हुये हैं।। अलग—अलग राज्यों में स्वयं सहायता समूह का विकास अलग—अलग अवस्था में हैं। इस योजना की सफलता के लिये संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय और उनके द्वारा प्रदान की गई विभिन्न आर्थिक एवं प्रशासनिक योजनाओं की रचना इन समूहों के विकास के लिए आवश्यक होती है। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछडा हुआ एक बडा वर्ग प्रत्येक राज्य में, किसी न किसी अनुपात में उपस्थित है और उसको अपने विकास और योगदान के लिए विभिन्न सामाजिक, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता व संबल की आवश्यकता है। विगत तीन दशकों में इसी संदर्भ में सी. रंगराजन कमेटी २००७, कूपर कमेटी १९९९, व्यास कमेटी २००१, विखे पाटिल कमेटी २००१, वैद्यनाथ कमेटी २००४ बनाई गई। इन्होंने स्वयं सहायता

समूहों के विकास और आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों के वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। कुछ समितियों के द्वारा स्वयं सहायता समूहों की वर्तमान स्थिति एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन किया गया है और उनके कार्य निष्पादन में आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया है। फिर भी इन सारे सुझावों एवं व्यवस्थाओं का लाभ प्रर्याप्त मात्रा में लक्षित समूहों तक नही पहुँच पाया है। इन्टरनेशनल ग्रोथ सेंटर ;प्ळब्द्ध भी समय समय पर स्वयं सहायता समूहों पर विस्तृत सर्वे किये और संबंधित सभी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, भौगोलिक आयामों पर आधारित संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास को रेखांकित किया था। इस संस्था के द्वारा किया गया यह सर्वेक्षण स्वयं सहायता समूहों के सफलता की तथ्यात्मक जानकारी देता है। जिससे यह परिलक्षित होता है कि जितनी मात्रा में विभिन्न प्रकार के प्रयास किये गये उससे अभी भी बहुत बडा लक्षित जनसंख्या का प्रतिशत वंचित है। इसलिये इस दिशा में किये गये प्रयासों की सघन एवं सटीक समीक्षा की आवश्यकता है। स्वयं सहायता समूहों की उपस्थिति और पहचान विश्व के अन्य देशों में भी की गई हैं। उन देशों में इस दिशा में किये गये प्रयासों एवं योजनाओं के अध्ययन की भी महती आवश्यकता है। इस प्रकार के अध्ययन से हमें अपने देश में इस योजना को अधिक सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा एवं जानकारी मिल सकती है।

Reference:

https:/byjus.com

"drishti" teaching material- drishtilias.com

Report of the task force on revival of short term cooperative credit structure (Vaidyanathan Committee), Government of India, Ministry of Finance, New Delhi, 2004.

NABARD (http://nabard.org/departemnts/highlights.asp)

The International Growth Centre (IGC) www.theigc.org

Coalition of Socially Responsible Small and Medium Enterprises in Asia, Quezon City, Philippines / Asian Dialogue on Oeconomy Case study series no. 2009-08

Quarterly Journal of Human Development, Vol1.No3,Spring 2007

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language